संख्या- 2 /2022/बी-1- 82/दस-2022-16/94

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2022

विषय: End to end digital mode में बजट प्रबंधन प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2021 तथा शासनादेश दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के क्रम में प्रशासकीय विभागों द्वारा समस्त वित्तीय स्वीकृतियॉ ऑनलाइन जारी की जा रही है जिसके फलस्वरूप प्रशासकीय विभाग के पास जारी स्वीकृतियों की स्थिति Real time आधार पर उपलब्ध हो गई हैं। वर्तमान व्यवस्था में वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के प्रस्ताव वित्त विभाग को ई-आफिस के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं, परन्तु वित्तीय स्वीकृति हेतु आलेख अभी भी या तो प्रस्ताव के साथ प्रेषित नहीं किये जा रहे है अथवा वे पी0डी0एफ0 के रूप में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे प्रभावी वित्तीय प्रबंधन नहीं हो पा रहा है तथा आलेख हेतु पुनः पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने के कारण वित्तीय स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों के आदेश प्रारूपों में भी एकरूपता का अभाव है। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु End to end ऑनलाइन बजट प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाना आवश्यक है जिससे बजट प्रबंधन Digital mode में त्वरित तथा प्रभावी हो सके। अतः इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था दिनांक 01-04-2022 से लागू की जाती है:-

1. प्रशासकीय विभागों द्वारा online budget allotment system के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति की प्रविष्टि पूर्ण किये जाने के पश्चात उन्हें आलेख generate करने हेतु finrms utility प्राप्त होगी, जिसके अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के आलेख सृजित किये जाने हेतु मानक शर्तो की लाईब्रेरी उपलब्ध है। प्रशासकीय विभाग इसका प्रयोग करते हुए वित्तीय स्वीकृति से संबंधित आलेख generate करेगें। वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति जारी करने हेतु आलेख generate कर इसकी editable प्रति ई-आफिस के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी तथा वित्त विभाग द्वारा उनमें यथा आवश्यक संशोधन किये जा सकेगें। जिन वित्तीय स्वीकृतियों हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी इसी प्रणाली से generate करते हुये प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रशासकीय विभागों द्वारा बजट पुनर्विनियोग के प्रस्ताव भी online budget allotment system के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेगें तथा आर0ई0 नम्बर ऑनलाइन बजट प्रबंधन प्रणाली द्वारा जारी किया जायेगा।
3. बजट प्रबंधन प्रणाली का प्रशिक्षण समस्त प्रशासकीय विभागों के नोडल अधिकारियों तथा आलेख तैयार करने से संबंधित कार्मिकों को दिनांक 21 फरवरी, 2022 से दिया जायेगा। इस हेतु सभी प्रशासकीय विभाग संबंधित कार्मिकों का विवरण यथा नाम, पदनाम, अनुभाग, ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नं0 दिनांक 17 फरवरी, 2022 तक वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि उनके login ID create करने व प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,

एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in